

दिनांक-18/02/2021

शिकारपुर थाना कांड संख्या - 461/2020 के अन्तर्गत दिनांक 06/02/2021 से काराबंदी अभियुक्त रबिन्द्र राम की ओर से उनका जमानत आवेदन को संचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता की ओर से कथन किया गया कि वह निर्दोष हैं। उसे इस वाद में झूठा फंसाया गया है। उसके द्वारा कोई दूसरा जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। वह न्यायालय के संतुष्टि के आधार पर किसी भी राशि का बंधपत्र देने को तैयार हैं। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाय। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान जिला अभियोजन पदा० को प्रदान की गयी।

विद्वान जिला अभियोजन पदा० श्री सतीश कुमार की ओर से जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद में सूचक दरोगा प्रसाद कुशवाहा ने गलैम्बर मोटर साईकिल जिसका रजि० नं० BR 225-0340 इंजन नं० JA06ETD9KD4796 चेचिस नं० MBLJH06ACD9K 04713 माडल नं० 2013 शहजाद अंसारी से गाडी खरीदा हूँ जिसका विक्री पत्र लिखवाया हूँ। परन्तु गाडी का स्थानान्तरण अपने नाम से नहीं कराया हूँ। आर्नर पुक शहजाद अंसारी के नाम पर है। दिनांक 02/09/2020 को समय 13:30 बजे दिन में अपने भाई का नामांकन, रेलवे प्रवेशिका विधालय प्लस 2 में कराने अपनी गलैम्बर मोटर साईकिल से गया था। जो अन्दर गेट पर लगाकर कार्यालय में गया। कार्यालय से कार्य के बाद जब बाहर निकला तो मेरी मोटर साईकिल नहीं थी। सूचक को पूरा विश्वास है कि अज्ञात चोरी द्वारा मेरी मोटर साईकिल चोरी कर ली गई है।

उभय पक्षों को सुना एवं वाद अभिलेख का अवलोकन किया। वाद अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है। आवेदक अभियुक्त का नाम अनुसंधान के क्रम में आया है। इस वाद में भा० द० वि० की धारा 379 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है, जो अजमानतीय है। आवेदक अभियुक्त पर सूचक ने मोटर साईकिल चोरी करने का आरोप लगाया है। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप की गंभीरता को देखते हुए यह न्यायालय आवेदक अभियुक्त को जमानत की सुविधा का लाभ देना न्यायोचित नहीं समझती है। तदनुसार आवेदक अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन दिनांक 17/02/2021 खारिज किया जाता है।

लेखापित

1/c मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी